



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4992

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43434 वर्ष 2025

शिवम सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : हर्ष कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री हर्ष कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, तथा श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का भी परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 135 वर्ष 2025, धाराएँ 103(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना - हुसैनगंज, जिला - फतेहपुर, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन की कथा के अनुसार, आवेदक ने दो नामित सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06.06.2025 को सायंकाल लगभग 05:00 बजे सूचनाकर्ता के पुत्र (जो अब मृत है) पर लाठी, डण्डे और ईंटों से हमला किया बताया गया है, तथा इसके पश्चात सूचनाकर्ता के दाहिने हाथ की हथेली पर भी चोट पहुँचाई बताई गई है। प्राथमिकी में यह भी आरोपित है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक का गला घोंटा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे असत्य रूप से फँसाया गया है। प्राथमिकी में आरोपित अपराध से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी लगभग एक दिन विलम्ब से दर्ज की गई है तथा ऐसे विलम्ब का कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन की कथा की सत्यता पर गम्भीर संशय उत्पन्न होता है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आरोप प्रथम दृष्ट्या असत्य और मनगढ़ंत हैं। स्वयं आवेदक को उसी घटना में चोटें आई हैं तथा घटना का एक प्रति-संस्करण भी विद्यमान है। इस अवस्था में निश्चयपूर्वक यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन सा पक्ष आक्रामक था; बल्कि आवेदक का यह मत है कि मृतक ही वह आक्रामक था जो घटनास्थल पर दौड़कर आया था। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएसएस की धारा 175(3) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे मजिस्ट्रेट ने परिवाद प्रकरण के रूप में मानना उचित समझा, जिससे बचाव पक्ष के संस्करण को विश्वसनीयता प्राप्त होती है।
7. विद्वान अधिवक्ता ने अंत में यह प्रस्तुत किया कि मृतक का गला घोटने के सम्बन्ध में आरोप मृत्यु-परीक्षण रिपोर्ट से असत्य सिद्ध होता है। मृतक की गर्दन पर कोई चोट नहीं पाई गई। इसके विपरीत, मृत्यु का कारण कपालीय चोटों को माना गया है तथा मस्तिष्क का पदार्थ भी विदीर्ण पाया गया, जो अभियोजन के गला घोटकर मृत्यु किये जाने के आरोप का पूर्णतः खण्डन करता है। आवेदक दिनांक 11.6.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसके नाम पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये निवेदन तथा यह तथ्य कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, को विवादित नहीं कर सके।
9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अपराध की प्रकृति, दण्ड की गम्भीरता तथा प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब एवं मृत्यु-परीक्षण रिपोर्ट में विसंगति को भी ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्ट्या मुझे यह प्रकरण आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य प्रतीत होता है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।



10. आवेदक - **शिवम सिंह**, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये। i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

8 जनवरी, 2026

सिद्धान्त